न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0- 103/2015 RCMS/2015/00080

उनवान –सरकार बनाम द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री अमरसिंह जाति कोली निवासी ग्राम रामपुर पोस्ट ओढ तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –19.02.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री द्वारिकाप्रसाद पुत्र श्री अमरसिंह जाति कोली निवासी ग्राम रामपुर पोस्ट ओढ तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0 के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.09.2014 को दोपहर 02.30 बजे सागरपाडा धौलपुर स्थित टैंकर नम्बर एमपी 06 एचसी 2571 को रोक कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त टैंकर में मौजूद लगभग 20,000 लीटर मिश्रित दूध का अभियुक्त ने स्वंय को दूध का मालिक होना बताया तथा टैंकर में लगभग 20,000 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय करने हेतु बताया। अभियुक्त से मिश्रित दूध विक्रय का खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2014 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त 20,000 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया जिसकी कीमत विक्रेता श्री द्वारिकाप्रसाद पुत्र अमरसिंह को 70/–रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी–677 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट कमांक एलएस/925/एसीटी/2014/939 दिनांक 26.09.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को नोटिस कमांक कोर्ट/2015/1418 दिनांक 4.9.2015 तामील जरिये तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0 जारी किया गया जिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार उक्त नोटिस को अप्रार्थी ने लेने से इन्कार किया है तथा पुनः रजिस्टर्ड नोटिस 737 दिनांक 13.8.18 जारी किया गया जिसे भी अप्रार्थी ने लेने से इन्कार किया है। इस प्रकार अभियुक्त/अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी के विरुद्व दिनांक 26.12.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस हेतु नियत किया गया। पैरोकार सरकार को बहस हेतु कई मौके दिये गये। दिनांक 22.1.2020 पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं हुये तथा उनका बहस का मौका बंद किया गया तथा पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/925/एसीटी/2014/939 दिनांक 26.09.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। जिससे यह भलिभॉति सिद्व होता है कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा उक्त सबस्टैंडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्त/अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतःन्यायनिर्णयन आवेदन स्वीकार किया जाकर अभियुक्त/अप्रार्थी श्री द्वारिकाप्रसाद पुत्र श्री अमरसिंह जाति कोली निवासी ग्राम रामपुर पोस्ट ओढ तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0 पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 1,00,000/—रुपये (एक लाख रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बॉकीदार अभियुक्त/अप्रार्थी श्री द्वारिकाप्रसाद पुत्र श्री अमरसिंह जाति कोली निवासी ग्राम रामपुर पोस्ट ओढ तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0 का निवास स्थान एवं बांकीदार की सम्पत्ति रामपुर पोस्ट ओढ तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0 में होने के कारण उक्त जुर्माना राशि 1,00,000/—रू0 (एक लाख रुपये) भारतीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर मुरैना म0प्र0 को भिजवाया जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)